

जानकारी देना कि 20.12.22 को पेश हो।

20.12.22

पत्रावली पेश हुई कमील वाली को प्रतिवादी
गण को नोटिस तामील करवाने हेतु बार-
बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी
नोटिस तामील नहीं करवाने पर पत्रावली
को आदेश 9 नियम 5 सी पी सी के तहत
खारीज की जाती है। पत्रावली के शल शुमार
डॉक्टर नम्बर से कम की जाकर दरवाज
दफतर हो।

उप खण्ड अधिकारी
चिड़वा जिला मुन्सुफ (राज)